मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की वार्षिक आम सभा (शासी निकाय) की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, आम सभा ,उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की वार्षिक आम सभा की द्वितीय बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 12:30 बजे मुख्य सचिव कार्यालय के सभागार में आहूत की गई। बैठक की सूचना यू.एल.एम.एम.सी. के पत्रांक–268/14/ULMMC/2024-25दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से ससमय प्रेषित किया गया था। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1	श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम	सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
2	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
3	श्री आनन्द स्वरूप	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन/अपर महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी.।	सदस्य सचिव
4	श्री विनीत कुमार	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	श्री आनन्द श्रीवास्तव	अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6	डॉ0 शान्तनु सरकार	निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी, देहरादून।	–
7	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियंत्रक, यू.एल.एम.एम.सी, देहरादून।	आमंत्री
8	मो0 अहमद	निदेशक, जी0एस0आई0, देहरादून। (Online)	सदस्य
9	श्री विजय सहगल	महाप्रबंधक, टी.एच.डी.सी. ऋषिकेश। (Online)	सदस्य
10	प्रो0 सुमित सेन	प्रोफेसर, आई.आई.टी. रूड़की। (Online)	सदस्य
11	डॉ0 डी.पी. शुक्ला	असिस्टेंट प्रोफेसर, आई.आई.टी. मंडी, हिमाचल प्रदेश। (Online)	सदस्य
12	डॉ0 शशांक भत्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर, एन.आई.टी., उत्तराखण्ड, पौड़ी गढ़वाल	सदस्य
13	श्री हरिशंकर श्रीवास्तव	वैज्ञानिक, आई.आई.आर.एस., देहरादून।	सदस्य
14	श्री अजीत सिंह	उपसचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
15	श्री नवीन सिंघल	एस0एस0ओ0 (नियोजन), सिंचाई विभाग, देहरादून।	सदस्य

सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा मुख्य सचिव/अध्यक्ष, आम सभा ,उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुये मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक आरम्भ करायी गयी। तत्पश्चात यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज के अनुसार वार्षिक आम सभा की द्वितीय बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम)/सदस्यों की संख्या पर्याप्त है। बैठक एजेण्डा निम्न प्रकार है:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:–दिनांक 20 मई, 2024 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की प्रथम कार्यकारी समिति एवं दिनांक 14 अगस्त, 2024 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की द्वितीय कार्यकारी समिति की बैठक में संस्तुत/अनुमोदित निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

एजेण्डा संख्या–2: अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु।

कार्यवृत्त

बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण करने हेतु निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. को निर्देशित किया गया।

निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा सर्वप्रथम यू.एल.एम.एम.सी. के मूल उद्देश्यों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तदोपरान्त केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों एवं गतिमान कार्यों से संक्षेप में अवगत कराया गया।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा की जा रही निम्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला गयाः–

1. Landslide Information Database– राज्य में चारधाम यात्रा मार्गों से संबंधित भूस्खलन की एटलस, जिलावार भूस्खलन संबंधी आँकड़ों का डेटाबेस, जिलावार भूस्खलन संवेदनशील स्थलों की मैपिंग तैयार करना आदि।
2. Landslide Hazard and Risk Assessment of Major Townships– राज्य में 05 नगर (अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल एवं उत्तरकाशी का लिडार सर्वेक्षण तथा प्रमुख नगरों का जियो–इन्वेस्टिगेशन करना, जिसमें से नैनीताल शहर में कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
3. Landslide Site Investigation– यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा राज्य में विगत 01 वर्ष में 60 से अधिक भूस्खलन संबंधी स्थलों का निरीक्षण किया गया है।
4. Mitigation Measures, Monitoring and Supervision– यू.एल.एम.एम.सी. को विभिन्न भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं हेतु PMC के रूप में नामित किया गया है। जैसे– गोपेश्वर एवं हल्दापानी (चमोली), इलधारा (पिथौरागढ), बलियानाला (नैनीताल), गलोगी (मसूरी)। इसके अतिरिक्त नैनापीक (नैनीताल), मंसादेवी (हरिद्वार), बहुगुणानगर (चमोली) संबंधी भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
5. DPR Evaluation and Preparation– यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा एस.डी.एम.एफ. के अन्तर्गत प्राप्त कुल 226 डी.पी.आर. का परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु यू.एस.डी.एम.ए./आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यू.एल.एम.एम.सी. के स्तर पर भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं संबंधी डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।
6. New Consultancy Projects-
    a. यू.एल.एम.एम.सी. को अधीक्षण अभियंता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड मुजफ्फरनगर, यू.पी. द्वारा खारा हाइड्रो प्रोजेक्ट (सहारनपुर, यू.पी.) के पीछे स्थित पहाड़ी के स्थिरीकरण हेतु परामर्श सेवाओं (डी0पी0आर0 निर्माण कार्य) के लिए अनुरोध किया गया है।
    b. यू–प्रिपेयर द्वारा थराली–घाट मोटर मार्ग, टिहरी–हिण्डोलाखाल–व्यासघाट मार्ग की डी0पी0आर0 संशोधन के कार्य हेतु यू.एल.एम.एम.सी. को अनुरोध किया गया है।
    c. यू.एल.एम.एम.सी. को अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा गलोगी पावर हाउस की एप्रोच रोड में हुये भूस्खलन क्षेत्र हेतु परामर्श सेवाओं (डी0पी0आर0 निर्माण कार्य) के लिए अनुरोध किया गया, जिस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

निर्देशः–

1. यू.एल.एम.एम.सी. अपनी क्षमताओं के अनुसार रेखीय विभाग जैसे– लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर उनकी परियोजनाओं की डी.पी.आर. निर्माण के कार्य यू.एल.एम.एम.सी. के स्तर पर किया जाय।

2. यू.एल.एम.एम.सी. अपनी क्षमताओं के विस्तार हेतु **विभिन्न तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ MOU**किया जाय।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या 1:</u>—दिनांक 20 मई, 2024 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की प्रथम कार्यकारी समिति एवं दिनांक 14 अगस्त, 2024 को आहूत यू.एल.एम.एम.सी. की द्वितीय कार्यकारी समिति की बैठक में संस्तुत/अनुमोदित निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

a. यू.एल.एम.एम.सी. हेतु एस.डी.एम.एफ. के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रोजेक्ट के संबंध में।

S. NO.	**Name of the Project**	**Estimated cost (in Cr)**
1.	Conducting Lidar Survey in five cities viz. Uttarkashi, Chamoli, Gopeshwar, Almora & Nainital in Uttarakhand state	₹ 12.30 Cr.
2	Conducting Topographic Survey, Geological Investigation, Geotechnical Investigation, Geophysical Investigation & Slope stability Analysis in Nainital City, Uttarakhand	₹ 6.88 Cr.
3	Procurement of instrument for Geological Investigation, Geotechnical Investigation, Geophysical Investigation & topographic Survey Work	₹ 2.91 Cr.
4.	Hiring of Consultancy Firm for Conducting Geotechnical investigation & Geophysical Investigation in Bahuguna Nagar, Karnaprayag, Uttarakhand	₹ 0.11 Cr.
5.	Hiring of Consultancy Firm for Preparation of Detailed Project Report on Investigation and Mitigation Measures for Slope Stabilization Along Hill bypass Road in Mansa Devi Hill, Haridwar, Uttarakhand	₹ 1.08 Cr.
6.	Hiring of Consultancy Firm for Preparation of Detailed Project Report on Mitigation Measures for Controlling Landslide on Naina Peak (Cheena Peak), Nainital, Uttarakhand	₹ 0.63 Cr.
7.	Procurement of various Software Related to Slope Stability Analysis under ULMMC	₹ 0.50 Cr.
	Total	**₹ 24.41 Cr.**

आम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

b. दिनांक 14 अगस्त, 2024 को आहूत द्वितीय कार्यकारी समिति में अनुमोदन के उपरांत यू. एल.एम.एम.सी. के प्रथम चरण में 50 पदों पर नियुक्ति के सापेक्ष रिक्त शेष 21 पदों की योग्यता/मानदेय/आयु/अनुभव में संशोधन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

Details of Posts to be filled by deputation/contractual			
S. No.	**Name of Post**	**No of Positions**	**Essential Qualifications (EQ) & Desirable Qualifications (DQ) / Age/ salary**
1	Chief Consultant	1	**A. Essential Qualifications** MSc/ MSc Tech/ M Tech in Geotechnical Engineering/Soil Mechanics/ Soil Dynamics / Rock Mechanics/ Geology/ Applied Geology/ Foundation Engineering with minimum 12 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works or B. Tech in Civil Engineering with minimum 15 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works. **B. Desirable Qualifications:** • Work experience in Landslide mitigation and Slope Stabilization work in Himalayan terrain, worked as Team Leader/Project Leader in Projects of Govt. or reputated

			organizations or equivalents • PhD candidate will be given preference **C. Age Limit:** not more than 65 years (contractual) and <60 years (on deputation) **D. Salary:** as per departmental scale (on deputation)/Rs. 200000-250000 (on contractual basis) as per govt norms for retired personnels.
2	Principal Consultant	1	**A. Essential Qualifications** MSc/ MSc Tech/ M Tech in Geotechnical Engineering/Soil Mechanics/ Soil Dynamics / Rock Mechanics/ Geology/ Applied Geology/ Foundation Engineering with minimum 10 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works or B. Tech in Civil Engineering with minimum 12 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works. **B. Desirable Qualifications:** • Work experience in Landslide mitigation and Slope Stabilization work in Himalayan terrain, worked as Team Leader/Project Leader in Projects of Govt. or reputated organizations or equivalents • PhD candidate will be given preference **C. Age Limit:**<60 years **D. Salary:** Rs. 150000- 200000 (contractual)/ as per departmental scale (on deputation)
3	Superintending Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** B. Tech in Civil Engineering with minimum 15 years of experience in slope stabilization/ protection work/ landslide mitigation and related work **B. Desirable Qualifications:** • Working experience in Himalayan terrain • Worked in the post of Superintending Engineer in Govt. or reputed organizations or equivalent. **C. Age limit:**<60 years (on deputation) **D. Salary:** as per departmental scale (on deputation)
4	Executive Engineer	2	**A. Essential Qualifications:** B. Tech in Civil Engineering with minimum 10 years of working experience in slope stabilization/protection work/landslide mitigation and related work **B. Desirable Qualifications:** • Working experience in Himalayan terrain • Worked in the post of Executive Engineer level officer in Govt. or reputed organizations or equivalent. **C. Age limit:**< 60 years **D.Salary:** as per departmental scale (on deputation)
5	Hydrologist	1	**A. Essential Qualification:** BTech in Civil Engineering with minimum 7 years' experience with main focus on hydrological studies. or Masters in Hydrology, Water Resources Engineering, Environmental Science, Geology or related fields with minimum 5 years' experience in hydrological studies. **B. Desired Qualifications:** Experience in hydro-geological work, hydrological data analysis and interpretation, water quality, rainfall-runoff modeling, water flow analysis and related work

			C. Age limit:< 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000 (contractual) / as per departmental scale (on deputation)
6	IT Expert	1	**Essential Qualification:** BTech (IT/Comp Sc.)/MCA with minimum 3 years of experience in handling servers and website management **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 50000- 60000 (contractual)/as per departmental scale (on deputation)
7	Geologist	1	**A. Essential Qualifications:** MSc/MSc Tech./M. Tech. in Geology/Applied Geology/Geological Technology **B. Desirable Qualifications:** • 5 years of work experience in the area of slope stability in hilly terrains. • PhD/Research/Projects/Professional experience will be counted in relevant field. **C. Age limit:** < 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000 (contractual)/as per departmental scale (on deputation)
Details of Contractual Posts			
8	Structural Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** Masters in Structural Engineering with minimum 5 yearsof experience in structural designing. **B. Desirable Qualifications:** Working experience in structural designs for landslide related projects and similar works. **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary**: Rs. 65000- 80000
9	Design Engineer	3	**A. Essential Qualifications:** M. Tech. in Geotechnical Engineering/ Structural Engineering or equivalent with minimum 5 years of experience. **B. Desirable Qualifications:** Working experience in the field of Geotechnical Investigations, slope stability analysis, designing of structures related with landslide mitigation **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary**: Rs. 65000- 80000
10	Earthquake Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** M.Sc Tech/ M.Tech. in Earthquake Engineering/Geotechnical Earthquake Engineering/ Geophysics or equivalent with minimum 5 years of working experience. **B. Desirable Qualifications:** Work experience in seismology/seismic data, processing and interpretation, earthquake building design and analysis of structure and relevant fields. **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000
11	Quality Control Engineers	2	**Essential Qualifications:** Diploma in Civil Engineering with minimum 5 years of experience in quality assurance and testing. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 40000- 50000
12	Environmen	1	**Essential Qualifications:** PG in Environment Sciences with minimum 5 years of experience in

	tal Expert		environment and forest land transfer activities. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 65000- 80000
13	Social/ Community Developme nt Expert	1	**Essential Qualifications:** PG in social Sciences/MSW with minimum 5 years of experience in the field of land acquisition and resettlement through RFCTLAR &R act. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 65000 - 80000
14	Documenta tion Expert	1	**Essential Qualifications:** Bachelor in Science/Technology/Engineering or equivalent with 5 years of experience in report writing and documentations activities or Masters in any discipline with 2 years of experience in report writing and documentations activities. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 60000 - 75000
15	Manager Office Manageme nt	1	**Essential Qualifications:** • Post Graduate in any discipline with minimum 5 years of experience or Graduate with minimum 8 years of experience. • Experience in office management with preferred for good communication skill in English and Hindi. **Age limit:** < 60 years **Salary:**Rs. 60000 - 75000
16	Data Entry Operator	3*	**Essential Qualifications:** Graduate with minimum 3 years of experience (good english and hindi typing preferred). **Age limit:** < 60 years **Salary** Rs. 20000- 25000
	Total	**22**	

*उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 24.09.2024 को डेटा एन्ट्री ऑपरेटर का 01 पद रिक्त होने के कारण वर्तमान में यू.एल.एम.एम.सी. के प्रथम चरण में 50 पदों पर नियुक्ति के सापेक्ष 22 पद रिक्त है। अतः 01 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पद को भी उक्त भर्ती में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

- आरक्षण संबंधी नियमों के संबंध में अपर महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि Non Cadre पदों हेतु आरक्षण नियमावली लागू नहीं है एवं आरक्षण संबंधी प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है एवं प्रत्युत्तर प्राप्त होने के उपरांत ही उक्त भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की जाएगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि उक्त पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को उल्लेखित मानदेय सीमा के अनुसार न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने के उपरांत परफारमेंस के आधार पर मानदेय में वृद्धि दी जाएगी।

निर्देशः–

1. **क्रं0सं0 12 पर उल्लेखित Environmental Expertपद की शैक्षिक अर्हता में Environmental Engineering को भी शामिल किया जाय।**

2. **Disaster Management विषय को यू.एल.एम.एम.सी. के ढांचे में स्वीकृत पदों की शैक्षिक अर्हता में शामिल किये जाने हेतु विचार किया जाय।**
आम सभा द्वारा शेष प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

c. यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा डी.पी.आर. निर्माण एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार परामर्श शुल्क लिये जाने के संबंध में:–

S.No.	Projects	ULMMC Charges
1	Project Management Consultancy (PMC) Supervision Consultancy Design and Supervision consultancy Comprehensive Supervision Consultancy	Based on scope of work • 1.0% of total project cost • 1.5% of total project cost • 2.0% of total project cost
2	Evaluation of DPR	0.25% of total project cost
3	Topographic Survey	Rs. 30,000@per hectare
4	Geophysical Survey	Rs. 400 per meter + charges for labour, travel etc.
5	DPR Preparation	• Upto Rs. 5.00 Cr: 1.0% of total project cost • Rs. 5.00 – 50.00 Cr: 0.75% of total project cost • Above Rs. 50.00 Cr: 0.50% of total project cost Specific investigations charges extra

आम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

d. कार्मिकों हेतु वेतन वृद्धि पॉलिसी, टी0ए0 / डी0ए0 पॉलिसी एवं बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव।

i. **वेतन वृद्धि पॉलिसी**:– प्रथम कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में यू.एल.एम.एम.सी. के कार्मिकों हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–154649/XVIII-(B-2)/23/20(UDRP-AF)2023, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के बिन्दु संख्या–02 के अनुसार निम्नलिखित वेतन वृद्धि देय है:–

"नियोजित कार्मिकों को समेकित परिलब्धियों पर Gross Salary of Rs. 1 Lakh and above तक अधिकतम 5% तक, Gross Salary Rs. 50,000/- to Rs. 99,999/- तक अधिकतम 6% तक एवं Gross Salary of Rs. 18,000/-to Rs. 49,999/- तक अधिकतम 10% तक की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शन के आधार पर देय होगी।"

उपरोक्त के क्रम में द्वितीय कार्यकारी समिति द्वारा यू.एल.एम.एम.सी. के कार्मिकों के वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आंतरिक समिति का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस केन्द्र के **कार्यालय आदेश संख्या–271/81/ULMMC/2024-25, दिनांक 21 सितम्बर, 2024** के माध्यम से अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में निम्नलिखित आंतरिक समिति का गठन किया गया है:–

1. निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी.।
2. वित्त नियंत्रक, यू.एल.एम.एम.सी.।
3. मैनेजर–एच.आर. यू.एल.एम.एम.सी.।

उक्तानुसार समिति कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि के मानक संबंधी अपनी आख्या तैयार कर महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी.को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी विसंगति के संबंध में अंतिम निर्णय महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी.में निहित होगा।

आम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

ii. **टी0ए0 / डी0ए0 पॉलिसीः–वित्त (वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–18/XXVII(7)18-50(14)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2019**के अनुसार उत्तराखण्ड में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को उनके वेतन स्तर के अनुसार यात्रा भत्ता की दरें स्वीकृत है। अवगत कराया गया कियू.एस.डी.एम.ए. के अन्तर्गत आने वाले संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नियत मानदेय पर की गयी है एवं उनके यात्रा भत्ता के लिये **आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग अनुभाग–1 के पत्रांक–152/XVIII-B-1/2020-1(1)/2020, दिनांक 17 जून, 2020**के अनुसार देय है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	नियत मानदेय	यात्रा–भत्ता हेतु अनुमन्य वेतन स्तर (शासनादेशानुसार)
1	1,25,000	तालिका के क्रम संख्या–1 से 3 तक मानदेय के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 से 13 के अनुसार।
2	75,000	
3	60,000	
4	50,000	तालिका के क्रम संख्या–4 एवं 5 तक मानदेय के अन्तर्गत आने वाले कार्मिको को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से 9 के अनुसार।
5	40,000	

उपरोक्त तालिका में वर्णित मानेदय के अनुसार ही यू.एल.एम.एम.सी. के संविदा के आधार पर नियोजित कार्मिको हेतु यात्रा भत्ता (टी0ए0 / डी0ए0 / अवस्थापन) देय है, जो निम्नलिखित हैः–

S. No.	Salary Division	Equivalent Level	D.A.		Accomodation	
			In Uttarakhand	Outside Uttarakhand	In Uttarakhand	Outside Uttarakhand
1	Below 60,000	6-9	350	400	400	750
2	60,000-1,25,000	10-13	450	500	1000	2250
3	Above 1,25,000	13A and above	600	700	1500	4500

आम सभा के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त तालिका के अनुसार अवस्थापन की दरें न्यून होने के कारण विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों मे सर्वेक्षण हेतु जाने वाले फील्ड स्टाफ को कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः वास्तविक बीजक के आधार पर भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

आम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन दिया गयाः–

1. सामान्य परिस्थितियों में अवस्थापन की दरें उपरोक्तानुसार ही रहेंगी, किन्तु राज्य सरकार के अतिथि गृहों / विश्राम गृहों / जी0एम0वी0एन0 / के0एम0वी0एन0 में अवस्थापन की दशा में यह दरें वास्तविक या उपरोक्त अनुमन्यता की सीमा से विशेष परिस्थितियों में 50 प्रतिशत तक अधिक स्वीकार की जा सकेंगी। इस बारे में महानिदेशक द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

2. किसी भी विसंगति के संबंध में अथवा कार्मिकों हेतु अवस्थापन की उच्च सीमा का निर्धारण किये जाने हेतु महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. अधिकृत होगें।

iii. **बीमा पॉलिसी**:—अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति द्वारा यू.एल.एम.एम.सी. में संविदा के आधार पर नियोजित कार्मिकों हेतु बीमा पॉलिसी (Accidental Policy) कराए जाने के अनुमोदन प्राप्त है।

आम सभा के अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि यू.एल.एम.एम.सी. में संविदा के आधार पर नियोजित समस्त कार्मिकों हेतु बीमा पॉलिसी करायी जानी अतिआवश्यक है एवं आम सभा द्वारा बीमा पॉलिसी निर्धारित किये जाने हेतु महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. को अधिकृत किया गया है।

e. यू.एल.एम.एम.सी. के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय (Governing Body) व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधन प्रस्तावः—

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय(Governing Body) व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। उक्त वांछित संशोधन करने के लिये उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र हेतु स्थापित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation में वर्णित व्यवस्थाओं/प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार विधिवत संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं, जबकि शेष प्रावधान यथावत रहेंगे:—

क्र. स.	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
	संगम ज्ञापन	
1	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन)** सोसाइटी के सभी मामलों का प्रबन्धन महानिदेशक में निहित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, वित्त नियंत्रक और सदस्य सचिव तकनीकी और गैर तकनीकी प्रभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, अपनी समर्थित शक्तियां, कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय से प्राप्त करेंगे।	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन)** सोसाइटी के सभी मामलों का प्रबन्धन अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति)/ अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून में निहित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, वित्त नियंत्रक और सदस्य सचिव तकनीकी और गैर तकनीकी प्रभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी समर्थित शक्तियां, कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय से प्राप्त करेंगे।
2	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.2** कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः— (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन — उपाध्यक्ष (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.2** कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः— (क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, — सदस्य

	(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (च) प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (छ) प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (ज) प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (झ) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (ञ) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून — सदस्य सचिव	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (च) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (छ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (ज) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (झ) अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ अपर महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,, देहरादून — सदस्य सचिव
3	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.3** आम निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे:– (क) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जैसा कि अनुच्छेद 8.2 'क से ञ' में वर्णित है। (ख) अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषक/सलाहकार। (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित व्यक्ति। (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित व्यक्ति। (ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमरी, पौड़ी द्वारा नामित व्यक्ति। (च) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित व्यक्ति। (छ) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित व्यक्ति। (ज) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादूनद्वारा नामित व्यक्ति। (झ) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उत्तराखण्ड द्वारा नामित व्यक्ति।	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.3** शासी निकाय (Governing Body) में **बिन्दु 8.3** के अनुसार शामिल होंगे:– (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सोसाइटी की 'शासी निकाय'के अध्यक्ष होंगे तथा प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून 'शासी निकाय' के उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जैसा कि अनुच्छेद 8.2 'ख से झ' में वर्णित है। (ख) से (झ) तक नामित सदस्य यथावत रहेंगे। संगम ज्ञापन के अन्तर्गतआम सभा के स्थान पर शासी निकाय (Governing Body) अभिप्रेत हैं।
4	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.4**– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रशासन), सचिवालय एवं मामलों का प्रबन्धन तथा ऐसी बैठकों के अभिलेखों एवं कार्यवृत्त का रख–रखाव करेंगे।	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.4**– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के अपर महानिदेशक/सदस्य सचिव (शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति)/अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग बैठकों के अभिलेखों एवं कार्यवृत्त का रख–रखाव करेंगे।
	नियम एवं विनियम	
1	**बिन्दु संख्या 3 (परिभाषायें एवं व्यख्याए) के अन्तर्गत बिन्दु 3.1**– इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नांकित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थात:–	**बिन्दु संख्या 3 (परिभाषायें एवं व्यख्याए) के अन्तर्गत बिन्दु 3.1** में वर्णित खण्ड (क) से (ढ) को यथावत रखते हुये इस क्रम में निम्नवत खण्ड (ण), (त) व (थ) सम्मिलित किये जाते हैं:–

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(क) "अधिनियम" से का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 जैसा कि इसके नियमों और विनियमों के साथ संशोधित और उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, अभिप्रेत है।
(ख) "वार्षिक आम बैठक" से वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य नामित गतिविधियों को अपनाने और समीक्षा करने के लिये सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक, अभिप्रेत है।
(ग) "लागू विधि" से कोई भी संविधि विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, अधिसूचना, समान्य विधि का नियम, आदेश, आज्ञाप्ति (डिक्री), उपविधि, शासनी अनुमोदन, निर्देश, दिशा– निर्देश, आवश्यक या अन्य शासनी प्रतिबन्ध, या कोई समान रूप विचाराधीन मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी प्राधिकरण द्वारा , पूर्वगामी प्रभाव से किसी के कानून के बल वाले, या किसी व्याख्या नीति या प्रशासन द्वारा निर्णय या निर्धारण, अभिप्रेत हैं।
(घ) "अध्यक्ष" से नियमों के अनुसार नियुक्त आम सभा और/या कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
(ङ) "कार्यकारिणी समिति" से सोसाइटी के शासकीय निकाय, जिसे नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया है और जिसे नियमों के तहत सोसाइटी का प्रबन्धन सौंपा गया, अभिप्रेत है।
(च) "वित्तीय वर्ष" से एक कैलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि अभिप्रेत है।
(छ) "आम सभा" से संस्था के सभी सदस्यों से समाविष्ट सभा अभिप्रेत है।
(ज) "शासकीय प्रतिनिधि" से वे व्यक्ति जिन्हें आम सभा और/या कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित, निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो एवं जो भारत सरकार या भारत में किसी भी राज्य के शासन या अन्य ऐसे पेशेवर संस्थाओं में पदेन क्षमता से सम्बद्ध हों, अभिप्रेत है।
(झ) "सदस्य" से नियमों के अनुसार सोसाइटी के आम सभा में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति होगा और जिसकी सदस्यता नियमों के अनुसार समाप्त नहीं की गयी हो, अभिप्रेत है।
(ञ) "सदस्य सचिव" से संस्था के सदस्य सचिव से होगा, जिसे प्रत्यायोजित कार्यों का निर्वहन करने के लिये नामित किया गया, अभिप्रेत है।
(ट) "ज्ञापन ("मेमोरेंडम")" से सोसाइटी के संगम–ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) अभिप्रेत है।
(ठ) "व्यक्ति" से किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति, सिमित या असिमित देयता सोसाइटी, निगम, साझेदारी (चाहे समिति या असिमित), स्वामित्व, या कोई अन्य संस्था, जिसे लागू कानूनों के तहत एक व्यक्ति माना गया हो, अभिप्रेत है।
(ड) "नियमों तथा विनियमों" या "नियम" से सोसाइटी के इन नियमों और विनियमों;तथा "नियम" से नियमों और विनियमों के विशिष्ट नियम से अभिप्रेत है।
(ढ) "लिखित" या "लिखित रूप में" मुद्रण, लिथोग्राफी, डिजिटल और अन्य तरीके शामिल है।</td>
<td>(ण) "महानिदेशक/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, नियम और विनियम के अन्तर्गत गठित शासी निकाय(Governing Body) के उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष से अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून के प्रमुख भी होंगे।"
(त) "अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन), उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून, जो गठित समितियों में सदस्य सचिव नामित हैं के स्थान पर अपर महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र/अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य सचिव के रूप में नामित किये जाने होंगे।
(थ) "वित्त नियंत्रक, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून के कोषाध्यक्ष भी होंगे। संस्था के सभी बैंक खाते कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून(अथवा महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेंगे।" इसके अतिरिक्त वे वित्तीय प्रमुख व लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे तथा महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे।

नियम एवं विनियम के अन्तर्गतआम सभा के स्थान पर शासी निकाय (Governing Body) अभिप्रेत हैं।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>बिन्दु संख्या 5 (आम सभा का गठन) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5.2– नियम 4 और नियम 5.1 में किसी भी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित आम सभा को स्थाई पदेन सदस्य होंगे:–
<table><tr><td>(क)</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr></table></td>
<td>बिन्दु संख्या 5 (शासी निकायका गठन) के अन्तर्गत बिन्दु 5.1, 5.3 व 5.4 को यथावत रखते हुये बिन्दु संख्या 5.2 में उल्लिखित शासी निकाय (Governing Body) में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं:–
<table><tr><td>(क)</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

	(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव ,आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष	(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
	(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(ङ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(च)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(छ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(ज)	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(ज)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(झ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(झ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(ञ)	वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ञ)	वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(ट)	अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषक/सलाहकार	सदस्य	(ट)	अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार	सदस्य
	(ठ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ठ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(ड)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ड)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(ढ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमरी, पौड़ी द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ढ)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड सुमाड़ी, पौड़ी द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(ण)	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ण)	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(त)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(त)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(थ)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादूनद्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(थ)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ	सदस्य
	(द)	अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,, देहरादून	सदस्य सचिव	(द)	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/अपर महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।	सदस्य सचिव
		बिन्दु संख्या 5.1, 5.3 व 5.4 यथावत रहेंगे।				
3		**बिन्दु संख्या 11 (आम सभा की बैठकें)** **11.1 से 11.4 एवं 11.6 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 11.5 (आम सभा की बैठकें)** अध्यक्ष या समिति के कम से कम आधे सदस्य या इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति में पारित एक प्रस्ताव द्वारा, इन नियमों के तहत अनुमत किसी भी व्यवसाय के संव्यवहार करने के लिये			**बिन्दु संख्या 11 (आम सभा की बैठकें)** **11.1 से 11.4 एवं 11.6 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 11.5 (शासी निकाय की बैठकें)** अध्यक्ष या समिति के कम से कम आधे सदस्य या इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति में पारित एक प्रस्ताव द्वारा, इन नियमों के तहत अनुमत किसी भी व्यवसाय के संव्यवहार करने के लिये वार्षिक	

	वार्षिक आम बैठक के अलावा कम से कम इक्कीस दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अन्य बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक को असाधारण आम बैठक के रूप में बुलाया जायेगा और इसे क्रमवार क्रमांकित किया जायेगा। **बिन्दु संख्या 11.7** सदस्य व्यक्तिगत रूप से आम बैठकों में भाग ले सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को उनकी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिये विधिवत गठित मुख्तारनामा के माध्यम से नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि एक सदस्य केवल एक व्यक्ति को अपनी ओर से किसी भी बैठक में भाग लेने के लिये नियुक्त कर सकता है। यह कि ऐसा कोई भी विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि किसी भी आम बैठक में केवल एक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने वाला सदस्य बैठक से पहले ऐसी नियुक्ति के बारे में अध्यक्ष को लिखित में सूचित करेगा। इस तरह के लिखित संचार को सदस्य की उपस्थिति माना जायेगा और इसे उपस्थिति रजिस्टर में अंकित किया जाय। सदस्यों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने के लिये विधिवत नियुक्त व्यक्तियों के पास वही मतदान के अधिकार होंगे जो सदस्य के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर होते।	शासी निकाय (Governing Body) बैठक के अलावा कम से कम **सात** दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अन्य बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक को असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठक के रूप में बुलाया जायेगा और इसे क्रमवार क्रमांकित किया जायेगा। **बिन्दु संख्या 11.7** चूंकि शासी निकास(Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी को नामित करने का संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में बैठक से पहले अध्यक्ष को इस आशय की सूचना दी जानी आवश्यक होगी। अतः बिन्दु संख्या 11.7 पर पूर्व में वर्णित व्यवस्था को निरस्त किया जाता है।
	बिन्दु संख्या 11(क) (बैठक की सूचना) सभी वार्षिक आम बैठकें एवं असाधारण आम बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोडकर कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जाएंगी। किसी भी नाम से बुलाई जाने वाली सभी आम बैठके एक आधिकारिक कार्य दिवस पर आयोजित की जाएंगी।	**बिन्दु संख्या 11 (बैठक की सूचना)** सभी वार्षिक शासी निकाय (Governing Body) की बैठकें एवं असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोडकर कम से कम 07 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जाएंगी। किसी भी नाम से बुलाई जाने वाली सभी शासी निकाय की बैठकें एक आधिकारिक कार्य दिवस पर आयोजित की जाएंगी।
4	**बिन्दु संख्या 13 (आम सभा की बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 13.2–** "यदि महानिदेशक या कार्यकारिणी द्वारा कोई अत्यावश्यक कार्य प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिये आम सभा की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष सभी सदस्यों को परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रस्ताव की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव पर परिचालन द्वारा पारित करने के लिये, कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्य लिखित संकल्प के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित माना जायेगा।	**बिन्दु संख्या 13 (शासी निकायकी बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या13.2**को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:– "यदि अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति) अथवा उपाध्यक्ष (शासी निकाय)/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा कोई अत्यावश्यक कार्य प्रस्तावित किया जाता है, जिसके लिये शासी निकाय(Governing Body) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष (शासी निकाय) सभी सदस्यों को परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रस्ताव की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव पर परिचालन द्वारा पारित करने के लिये, कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्य लिखित संकल्प के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन

<table>
<tr><td></td><td></td><td>सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित माना जायेगा।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>
बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) – जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय है, सोसाइटी के मामलों का प्रबन्धन, कार्यकारिणी समिति का सौंपा जायेगा, जो नियमों और विनियमों के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गठित एक सभा है। कार्यकारिणी समिति दिन–प्रतिदिन के मामलों की जानकारी, प्राधिकरण के प्रतिनिधायन के अनुसार महानिदेशक और उनकी नामित दल (टीम) के सौंपेगा।
बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) के अन्तर्गत 15.1 कार्यकारिणी समिति की संरचना:–
कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम दस (10) सदस्य और अधिकतम पन्द्रह(15) सदस्य होंगे।
(एक) कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित स्थाई सदस्य होंगे, अर्थातः–
<table>
<tr><td>(क)</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>उपाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ञ)</td><td>अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
</td><td>
बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) –
नियमों और विनियमों के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गठित कार्यकारिणी समितिएक सभा है। जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय है, सोसाइटी के मामलों का प्रबन्धन, कार्यकारिणी समिति को सौंपा जायेगा। कार्यकारिणी समिति दिन–प्रतिदिन के मामलों की जानकारी, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के प्रतिनिधायन के अनुसार अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग / महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून और उनकी नामित दल (टीम) को सौंपेगा।
बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) के अन्तर्गत 15.1 कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित संशोधित संरचना:–
कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम दस (10) सदस्य और अधिकतम पन्द्रह(15) सदस्य होंगे।
(एक) कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित स्थाई सदस्य होंगे, अर्थातः–
<table>
<tr><td>(क)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	(दो) उपरोक्तानुसार 15 सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारिणी समिति, अपने पूर्ण विवेक से, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन पेशेवर विशेषज्ञों को, जो आम सभा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं हैं ऐसे नियमों और शर्तों पर सहयोजित कर सकती है, जैसा कार्यकारिणी समिति उचित और ठीक समझे। परन्तु यह कि ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर आम सभा का कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। (तीन) यथावत रहेंगे।	(झ) अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग / अपर महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून — सदस्य सचिव **(दो)** उपरोक्तानुसार 15 सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारिणी समिति, अपने पूर्ण विवेक से, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.), विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन पेशेवर विशेषज्ञों को, जो शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं हैं ऐसे नियमों और शर्तों पर सहयोजित कर सकती है, जैसा कार्यकारिणी समिति उचित और ठीक समझे। परन्तु यह कि ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर शासी निकायका कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। परन्तु कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करने की प्रथा को प्रोत्साहित न किया जाय। (तीन) यथावत रहेंगे।
6	**बिन्दु संख्या 17 (पदाधिकारी) के अन्तर्गत बिन्दु 17.1(अध्यक्ष / उपाध्यक्ष)**—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, अध्यक्ष होंगे और कार्यकारिणी समिति और आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन उपाध्यक्ष होंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगें और अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।	**बिन्दु संख्या 17 (पदाधिकारी) के अन्तर्गत बिन्दु 17.1 अध्यक्ष**— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सोसाइटी की शासी निकाय (Governing Body) **के अध्यक्ष** होंगे और शासी निकायकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जबकि सोसाइटी की **कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून होंगे। **उपाध्यक्ष**— शासी निकाय (Governing Body) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून उपाध्यक्ष होंगे तथा वे अध्यक्ष (शासी निकाय) की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगें और अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
	17.2 (महानिदेशक / अपर महानिदेशक) — सोसाइटी के महानिदेशक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और संगठन के प्रमुख होंगे। उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव का पदधारक सोसाइटी का महानिदेशक होगा। प्रमुख सचिव / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पदधारक सोसाइटी का अतिरिक्त महानिदेशक होगा।	**17.2 (महानिदेशक)** — उत्तराखण्ड शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग का पदधारक सोसाइटी का महानिदेशक होगा। सोसाइटी के महानिदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के प्रमुख भी होंगे। **अपर महानिदेशक**—उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, का पदधारक सोसाइटी का अपर महानिदेशक होगा।
	17.3 (सदस्य सचिव) — आपदा प्रबन्धन विभाग के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) को सोसाइटी के सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव	**17.3 (सदस्य सचिव)** — अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन/अपर महानिदेशक को सोसाइटी के सदस्य सचिव (कार्यकारिणी समिति एवं शासी निकाय) के रूप में

	अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन सहित सोसाइटी के उचित प्रबन्धन के लिये जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करेंगे।	नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन सहित सोसाइटी के उचित प्रबन्धन के लिये जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करेंगे। यदि आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत एक से अधिक अपर सचिव तैनात किये गये हो तो उस स्थिति में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून हेतु सदस्य सचिव का नामांकन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा एक अपर सचिव को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।
7	**बिन्दु संख्या 19 (बैठके, कार्यकारिणी समिति की बैठक का** गणपूर्ति/कोरम **और उपस्थिति)** **बिन्दु संख्या 19.1 व19.3 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 19.2 के अन्तर्गत–** "कार्यकारिणी समिति की बैठकें महानिदेशक या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के 50 प्रतिशत (50%) द्वारा कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर तथा जिस कार्यवृत्त (एजेण्डा) पर वे चर्चा करना चाहते हैं, का उल्लेख करते हुये, उक्त बैठक बुलायी जा सकती है।" **बिन्दु संख्या 19.4** –कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उक्त बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होता है तथा वे किसी अन्य (प्रॉक्सी) को नियुक्त नही कर सकते हैं।	**बिन्दु संख्या 19 (बैठकें, कार्यकारिणी समिति की बैठक का** गणपूर्ति/कोरम **और उपस्थिति)** **बिन्दु संख्या 19.1 व 19.3 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 19.2 के अन्तर्गत–** "कार्यकारिणी समिति की बैठकें अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की जायेंगी। समिति की बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्यों के साथ सात (7) दिनों के नोटिस पर प्रस्तावित विचारणीय बिन्दुओं (एजेण्डा) प्रेषित करते हुये बुलायी जा सकती है।" **बिन्दु संख्या 19.4**–चूंकि शासी निकास (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी को नामित करने का संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में बैठक से पहले अध्यक्ष को लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा। अतः बिन्दु संख्या 19.4 पर पूर्व में वर्णित व्यवस्था को निरस्त किया जाता है।
8	**बिन्दु संख्या 21(कार्यकारिणी समिति द्वारा मतदान और कार्य संचालन) के अन्तर्गत बिन्दु 21.5 के अन्तर्गत–** "यदि कोई अत्यावश्यक कार्य महानिदेशक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिये कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष सभी सदस्यों को प्रस्तावित परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे मद की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव को परिचालन द्वारा पारित करने के लिये सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत (50%) का लिखित रूप में संकल्प के पक्ष में मतदान होने चाहिए। ऐसा संकल्प	**बिन्दु संख्या 21(कार्यकारिणी समिति द्वारा मतदान और कार्य संचालन) के अन्तर्गत बिन्दु 21. 5 के अन्तर्गत–** "यदि कोई अत्यावश्यक कार्य अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति)/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसके लिये कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति) सभी सदस्यों को प्रस्तावित परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे मद की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव को परिचालन द्वारा पारित करने के लिये सदस्यों के

	सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित हुआ माना जायेगा।"	कम से कम 50 प्रतिशत (50%) का लिखित रूप में संकल्प के पक्ष में मतदान होने चाहिए। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित हुआ माना जायेगा।"
9	**बिन्दु संख्या 22 (कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु 22.1 (घ–xxv)**– "सोसाइटी की गतिविधियों के संचालन के लिये महानिदेशक को ऐसी शक्तियां सौंपना जो वह उचित समझे।" **बिन्दु 22.1 (घ–xxxii)** –"महानिदेशक की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिये चयन, नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों, सेवा की शर्तों और प्रकिया को विनियमित करना।"	**बिन्दु संख्या 22 (कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु 22.1 (घ–xxv)**– "सोसाइटी की गतिविधियों के संचालन के लिये अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक को ऐसी शक्तियां सौंपना जो कार्यकारिणी समिति उचित समझे।" **बिन्दु 22.1 (घ–xxxii)**– "अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिये चयन, नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों, सेवा की शर्तों और प्रकिया को विनियमित करना।" **बिन्दु 22.1 (घ)** में वर्णित खण्ड (i) से (xxiv) व (xxvi) से (xxxi) एवं (xxxiii) को यथावत रखते हुये इस क्रम में निम्नवत खण्ड (xxxiv) को सम्मिलित किया जाता है:– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के सुचारू संचालन हेतु सामग्री क्रय, सेवाओं की अधिप्राप्ति (परामर्शी एवं क्रियान्वयन संस्थाओं/ फर्म अथवा व्यक्तियों) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर समिति के पूर्व अनुमोदन के साथ सहयोजित की जा सकती है। परन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया जा सका हो तो महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे सहयोजनों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की प्रथम आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर शासी निकाय (Governing Body) का कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। परन्तु कार्योत्तर अनुमोदन/अनुसमर्थन प्राप्त करने की प्रथा को प्रोत्साहित न किया जाय।
10	**बिन्दु संख्या 24 (महानिदेशक की शक्तियां और कार्य)** **बिन्दु संख्या 24 के खण्ड (छ)**–"समाज के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्त, कानून, प्रबन्धन और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के क्षेत्र में पेशेवरों को नियुक्त करना।" बिन्दु (क) से (च) एवं (ज) व (झ) यथावत	**बिन्दु संख्या 24 (अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति /महानिदेशक की शक्तियां और कार्य)** **बिन्दु संख्या 24 के खण्ड (छ)**–"उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्त, कानून, प्रबन्धन और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आदि के क्षेत्र में पेशेवरों को नियुक्त करना।" बिन्दु (क) से (च) एवं (ज) व (झ) यथावत रहेंगे।

	रहेंगे।	
11	**बिन्दु संख्या 26 (बैंक खाता और वित्त)के अन्तर्गत बिन्दु 26.1** – ''संस्था के सभी बैंक खाते कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेंगे जबकि कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।'' **बिन्दु 26.4**–''संस्था के खातों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महानिदेशक और कार्यकारिणी समिति की सलाह पर आम सभा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी।''	**बिन्दु संख्या 26 (बैंक खाता और वित्त) के अन्तर्गत बिन्दु 26.1**– ''संस्था के सभी बैंक खाते वित्त नियंत्रक, आपदा प्रबन्धन विभाग/ कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून (अथवा महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेंगे, जबकि कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।'' **बिन्दु 26.4**–''संस्था के खातों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष वित्त नियंत्रक की सलाह पर अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी।''

अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करने के उपरान्त द्वितीय कार्यकारी समिति की बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज के Rules and Regulationके बिन्दु संख्या 11.5 एवं 11–क के अनुसार–शासी निकाय (Governing Body) की बैठकें एवं असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जाएंगी।

   उक्त प्रावधानों में 21 दिनों के स्थान पर 07 दिनों तक ही सीमित किया जाय। शेष यथावत रहेगा।
2. शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) के सदस्यों के सम्बन्ध में– प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर सचिव से अन्यून स्तर) के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर सचिव से अन्यून स्तर) लिखा जाय। इस प्रस्ताव को भी संशोधन में शामिल कर लिया गया है।
3. शेष सभी प्रस्तावित संशोधनों पर कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

आम सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

<u>एजेण्डा संख्या–2ः–</u>

अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु–यू.एल.एम.एम.सी. के खातों की लेखा परीक्षा (Auditing) हेतु लेखा परीक्षक (Auditor) को नियुक्त करने हेतु महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. को अधिकृत किया गया।

अन्त में सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, आम सभा,
यू.एल.एम.एम.सी.,देहरादून

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) उत्तराखण्ड, देहरादून।

6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 300 / 14 /यू.एल.एम.एम.सी./2024–25 देहरादून, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन/अपर महानिदेशक, यू.एल. एम.एम.सी.।
10. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।
11. निदेशक, यू0एल0एम0एम0सी0, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की।
13. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
14. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड, सुमाड़ी, पौड़ी।
15. निदेशक, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, देहरादून।
16. निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून।
17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि0, नई टिहरी।
18. निदेशक, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, देहरादून।
19. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
20. गार्ड फाईल।

07.10.24

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/
महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन
न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।